

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

CSPDCL

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अंतिम ट्रू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का पुनर्निर्धारण एवं उपभोक्ताओं से वसूली हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण संबंधी याचिका

रु. 50 / -

सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ अवधारण याचिका का संक्षिप्त हिन्दी संस्करण

पृष्ठ भूमि :-

01 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 सहपठित धारा 133 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कर्तव्य, सम्पत्ति एवं दायित्वों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अन्तरण योजना नियम 2008 लागू किया गया जिसे कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 द्वारा अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित किया गया है।

उक्त अंतरण योजना जो कि 01 जनवरी 2009 से प्रभावशील है, के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी है जिसके आपूर्ति क्षेत्र में स्थित विद्युत उपभोक्ताओं की आपूर्ति हेतु विद्युत दरों का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके अन्तर्गत प्रभावशील नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाता है।

02. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 13.04.2022 में अधिसूचित उपभोक्ता दरें जो कि दिनांक 01.04.2022 से प्रभावशील हैं, वर्तमान में लागू हैं।

03. विद्युत अधिनियम, 2003 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता का आकलन कर आयोग के समक्ष टैरिफ अवधारण याचिका प्रस्तुत करना प्रावधानित है। तदनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं 86(1)(a) में निहित प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये "बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारणा हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें" विनियम, 2015 एवं 2021 सहित उसके संशोधन में विहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अंतिम टू-अप याचिका, नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता का निर्धारण एवं उपभोक्ताओं से वसूली हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण संबंधी याचिका माननीय राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता ने कार्यालयीन दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियम के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों से निष्कपट चेष्टा की है। तथापि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति के याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर करने एवं तदानुसार याचिका संशोधित/पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करे।

विशेष टीप : (प्रस्तावित याचिका का हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिये किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में मूल अंग्रेजी याचिका मान्य होगी।)

1. **वर्ष 2021-22 के लिये अंतिम टू-अप का विवरण :-**

(i) **वितरण हानि :**

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड वितरण हानि को कम करने हेतु गंभीर एवं समर्पित है। जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के भार वृद्धि एवं विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के उपरांत भी वितरण हानि में उत्तरोत्तर कमी हो रही है।

वर्ष	2021-22
माननीय नियामक आयोग द्वारा वितरण हानि हेतु निर्धारित लक्ष्य	16.00%
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्राप्त वितरण हानि	18.48%

(ii) **वर्ष 2021-22 के लिये विद्युत की उपलब्धता एवं क्रय लागत का विवरण :-**

(याचिका की तालिका क्रमांक -7)

स. क्र.	विवरण	02.08.2021 के टैरिफ आदेश के अनुसार			अंतिम टू-अप		
		मात्रा (मिलियन यूनिट में)	राशि (रु.करोड़ में)	दर (रु. प्रति केडब्ल्यूएच में)	मात्रा (मिलियन यूनिट में)	राशि (रु. करोड़ में)	दर (रु. प्रति केडब्ल्यूएच में)
1	केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से	14,825.65	5,347.41	3.61	15,429.44	6,029.59	3.91
a	एन.टी.पी.सी.	14236.4	5094.41	3.58	14,124.92	5,504.40	3.90
b	एन.टी.पी.सी.-सेल	280.46	158.8	5.66	272.28	127.67	4.69
c	एन.पी.सी.आई.एल.	300.94	92.42	3.07	347.09	118.68	3.42
d	अन्य	7.85	1.78	2.27	685.15	278.84	4.07
e	कमी : कोविड19 के कारण रियायत						
f	अन्य प्रभार					0.00	
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों से	18,866.84	6,058.09	3.21	16,416.06	5,892.84	3.59

i	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी- ताप विद्युत	18493.71	5994.01	3.24	16,384.26	5,881.42	3.59
ii	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी- नवीकरणीय	373.13	64.08	1.72	31.81	11.42	3.59
3	अल्पकालिक विद्युत ईकाईयों से क्रय	124.49	41.93	3.37	260.97	192.7146	7.38
4	रियायती पॉवर – छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से	1,530.87	244.94	1.60	2,185.62	492.83	2.25
5	अन्य- नवीकरणीय स्रोत	2,111.33	1,109.36	5.25	2,340.46	1,329.12	5.68
i	बायोमॉस	686.28	442.44	6.45	951.38	622.36	6.54
ii	सोलर	960.33	428.32	4.46	934.21	414.63	4.44
iii	जल/अन्य नवीनीकरण	464.72	143.62	3.09	454.87	292.14	6.42
iv	सौर और गैर-सौर आरईसी		94.98				
v	अन्य प्रभार-आरई						
vi	एसईसीआई						
6	अनशेड्यूल्ड पॉवर	0	0	0	337.78	55.82	1.65
7	पारेषण प्रभार		1644.6			1931.91	
i	अंतरराज्यीय पारेषण लागत		603.93			957.53	
ii	अंतः राज्यीय पारेषण लागत		1025.74			962.50	
iii	राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभार		14.93			11.87	
vi	कमी : कोविड-19 के कारण एएफसी में छूट					0.00	
8	यूआई क्रय	0	0	0	411.73	198.10	4.81
9	सीमावर्ती गांव	0	0	0	1.56	1.46	9.34
10	बैंकिंग क्रय	0	0	0	308.67		
11	प्रतिक्रियाशील प्रभार	0	0	0		7.15	
12	सकल विद्युत क्रय लागत	37,459.18	14,446.33	3.86	37,692.29	16,112.50	4.27
13	कमी:समायोजन	7,328.18	3,120.08	4.26	5,962.27	1,854.14	3.11
i	तेलंगाना को विक्रय	6349.58	2850.96	4.49	1,631.25	699.36	4.29
ii	सेल ऑफ सरप्लस पॉवर	978.6	269.12	2.75	3,214.89	1,126.57	3.50
iii	यूआई सेल				397.45	28.22	0.71
14	बैंकिंग सेल				718.68	-	
15	आरआरएएस सेटलमेंट					19.03	
16	शुद्ध विद्युत क्रय लागत	30,131.00	11,326.25	3.76	31,730.02	14,258.36	4.49

माननीय आयोग से उपरोक्तानुसार उल्लेखित 14,258.36 करोड़ रुपये के पॉवर क्रय की लागत के अनुमोदन की प्रार्थना है।

(iii) अंतिम खाते के अनुसार ट्रू अप किये जाने पर वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण :-

(याचिका की तालिका क्रमांक -24)
(राशि रुपये करोड़ में)

क्रं	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		
		टैरिफ आदेश दिनांक 02.08.2021)	अंतिम ट्रू-अप	अन्तर
A	शुद्ध विद्युत क्रय लागत	14.446.33	16112.50	1,666.17
B	संचारण एवं संधारण व्यय	1,677.26	1,845.79	168.53
1	शुद्ध कर्मचारी लागत	947.51	848.85	(98.66)
2	शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	145.26	157.41	12.15
3	शुद्ध मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	135.00	390.04	255.04
4	पेंशन और उपादान	449.48	449.48	-
5	अंतरिम वेतन राहत	-	-	-
C	ब्याज एवं वित्तीय व्यय	171.66	160.57	(11.09)
1	ऋण पर ब्याज	167.36	183.86	16.50
2	सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज	140.30	97.12	(43.18)
3	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	(136.00)	(120.41)	15.59
D	अन्य व्यय	558.99	706.63	147.64
1	अवमूल्यन	232.08	344.93	112.85
2	इक्विटी पर रिटर्न	326.91	361.70	34.79
E	दक्षता पर लाभ/(हानि)		33.74	33.74
1	संचा./संधा. दक्षता साझा से प्राप्ति लाभ/(हानि)		33.74	33.74
F	कमी : गैर टैरिफ आय	318.03	284.99	(33.04)
1	गैर टैरिफ आय	241.16	211.65	(29.51)
2	व्हीलिंग चार्जस ओपन एक्सेस एण्ड क्रास सब्सिडी चार्ज, पीओसी	76.87	73.35	(3.52)
G	कुल राजस्व आवश्यकता	16,536.21	18,506.76	1,970.55

उपरोक्तानुसार माननीय आयोग से 18,506.76 करोड़ रुपये की राजस्व आवश्यकता को स्वीकृत करने की प्रार्थना है।

(iv) वर्ष 2021-22 के लिये स्टेण्ड एलोन अधिशेष/(कमी) का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

(याचिका की तालिका क्रमांक 26)
(राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	2021-22 टैरिफ आदेश दिनांक 02.08.2021 के अनुसार से	अंतिम टू-अप
1	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता	13,416.13	18,506.76
2	बिजली के विक्रय से आय	15220.40	16,451.29
3	स्टैण्ड एलोन कमी/(आधिक्य)	(1,804.27)	2,055.47
4	जोड़ना: स्टैण्ड एलोन कमी/(आधिक्य)		2,055.47
5	CSPGCL के लिए वर्ष 2019-20 का अंतिम टू-अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	329.75	329.75
6	CSPGCL के आरई स्टेशन के लिए वर्ष 2019-20 का अंतिम टू-अप के पश्चात् कमी/(आधिक्य) (याचिका क्र. 16/2021 में आदेश अनुसार)	(5.72)	(5.72)
7	केटीपीएस के स्क्रेप की बिक्री से CSPGCL को अतिरिक्त एनटीआई	(10.00)	(10.00)
	CSPTCL के लिए वर्ष 2019-20 का अंतिम टू-अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	(46.06)	(46.06)
	CSLDC के लिए वर्ष 2019-20 का अंतिम टू-अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	(3.63)	(3.63)
	CSPGCL, CSPTCL एवं CSLDC के लिए वर्ष 2019-20 का अंतिम टू-अप का अग्रेनीत कुल कमी/(आधिक्य)	264.34	264.34
8	CSPDC के लिए वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 का अंतिम टू-अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	2,235.39	2,235.39
9	CSPDC के लिए नियामक संपत्ति	246.44	246.44
10	जोड़ना: वर्ष 2020-21 का अंतिम टू-अप के बाद रिव्यू पीटिशन का राजस्व कमी	0.00	518.03
11	अंतिम राजस्व कमी/(आधिक्य)	941.90	5,319.67
12	वर्ष 2021-22 के कमी का समायोजन		
13	कुल अंतिम कमी		5,319.67
14	ब्याज दर (प्रतिशत)		10.90%
15	केयरिंग/(होलिडिंग) लागत	0.00	439.01
16	वर्ष के अंत में कुल क्लोजिंग कमी/(आधिक्य)	941.90	5,758.68

उपरोक्तानुसार वर्ष 2021-22 के लिये माननीय आयोग से 5,758.68 करोड़ राजस्व कमी की राशि के अनुमोदन का अनुरोध है। यह अंतर वर्ष 2023-24 में कैरिंग कॉस्ट सहित 6134.77 करोड़ रुपये है जो कि याचिका के कंडिका क्र. 8.72 की तालिका क्र. 56 में अग्रेषित किया गया है।

2. वर्ष 2023-24 हेतु विद्युत क्रय लागत के महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

(i) पॉवर परचेस की कॉस्ट एवं उपलब्धता:-

(याचिका की तालिका क्रमांक - 41)

स.क्र.	विवरण	वर्ष 2022-23		
		क्रय की गई यूनिट (मि.यू.)	कुल लागत (रु. करोड में)	पैसा / केडब्ल्यूएच
1	केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से	15,072.89	5,214.74	346
A	एनटीपीसी	13,866.74	4,578.64	330
B	एनटीपीसी सेल (एनएसपीसीएल)	279.94	133.49	477
C	एनपीसीआईएल	277.93	94.34	339
D	अन्य	648.28	408.28	630
2	राज्य उत्पादन संयंत्रों से	18,697.84	6147.31	329
A	सीएसपीजीसीएल-तापीय	18,023.59	6,076.01	337
B	सीएसपीजीसीएल-नवीकरणीय	674.25	71.30	106
3	ट्रेडिंग कंपनी से रियायत विद्युत	2,395.56	444.52	186
4	अन्य नवीनीकरणीय स्रोत	4,695.64	1,472.73	314
A	बायोमॉस	0.00	0.00	0.00
B	सोलर	1,994.01	754.86	379
C	जल/अन्य आरई	464.72	158.64	341
D	अन्य आरई	2,236.91	559.23	250
5	पारेषण प्रभार		1,899.85	
A	अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत		724.69	
B	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत		1,155.61	
C	राज्य भार प्रेषण केन्द्र का लागत		19.55	
6	सकल विद्युत क्रय लागत	40,861.93	15,179.15	371
8	समायोजन	7,591.43	3,495.48	460
I	अन्तर्राज्यीय पारेषण हानि	515.56	0.00	0.00
II	तेलंगाना को विक्रय	0.00	0.00	0.00
III	सेल आफ सरप्लस पॉवर	7,075.87	3495.48	494
9	शुद्ध विद्युत कय लागत	33,270.49	11,683.67	351

(ii) वर्ष 2023-24 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता:-

(याचिका की तालिका क्रमांक 53)
(रूपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23
A	विद्युत क्रय लागत	11,684
1	पॉवर क्रय लागत	13,279
2	अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत	725
3	अन्तःराज्यीय पारेषण प्रभार	1,156
4	सीएसएलडीसी प्रभार	20
5	कमी: तेलंगाना को विद्युत विक्रय	-
6	कमी: सेल आफ सरप्लस पॉवर	3,495
B	संचारण एवं संधारण व्यय	2,448
1	कर्मचारी लागत	1,317
2	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	93
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	269
4	पेंशन और ग्रेज्यूटी	768
C	ब्याज एवं वित्तीय व्यय	534
1	ऋण पर ब्याज	360
2	उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर ब्याज	-
3	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	173
D	अन्य व्यय	984
1	अवमूल्यन	532
2	इक्विटी से रिटर्न	453
E	कमी: नॉन टैरिफ इन्कम	204
1	नॉन टैरिफ इन्कम	204
F	सीएसडी मुद्दे पर ट्रिब्यूनल के फैसले का प्रभाव	136
G	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	15,581.14

उपरोक्तानुसार वार्षिक राजस्व आवश्यकता वर्ष 2023-24 के लिये माननीय आयोग से रू. 15,581.14 करोड़ रुपये राजस्व की राशि के अनुमोदन का अनुरोध है।

(iii) वर्ष 2023-24 के स्टेण्ड एलोन अधिशेष / (कमी) का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

(याचिका की तालिका क्रमांक - 56)
(रूपये करोड़ में)

क्रं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	15,581.14
2.	वर्तमान टैरिफ विद्युत विक्रय से आय	19,344.17
3.	स्टेण्ड लोन (कमी) / अधिशेष	3,763.03
4.	(हानि) / लाभ को आगे बढ़ाये	(6134.77)
5.	वर्तमान वर्ष के लिए शुद्ध (हानि) / लाभ	(2371.73)

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, माननीय आयोग के समक्ष यह प्रस्तुत किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध राजस्व अंतर को सम्मिलित करने के बाद औसत विद्युत आपूर्ति दर रु. 6.22 प्रति यूनिट है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत औसत विद्युत आपूर्ति दर के बराबर है। अतः इस वर्ष टैरिफ में कोई भी वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

याचिका कर्ता

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर

— 0 —